भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1152

(जिसका उत्तर मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को दिया गया)

सी.सी.आई. के सेवानिवृत्त अधिकारियों का इसके समक्ष उपस्थित होना

1152. डा. सुब्रमण्यम स्वामी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के सेवा-निवृत्त अधिकारी इसके समक्ष उपस्थित होते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह ऐसे निकायों के पूर्व अधिकारियों को इसके समक्ष अथवा इसके अधीनस्थ निकायों में प्रैक्टिस करने से प्रतिषेध करने की भावना तथा उससे संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.सी.आई. में ऐसे अधिकारियों के इस प्रकार प्रैक्टिस किये जाने का प्रतिषेध किया है और जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि सी.सी.आई. के सभी पूर्व अधिकारी विवाद संबंधी मामलों में इसके समक्ष उपस्थित नहीं हों ताकि उचित कार्रवाई एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बताया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): सीसीआई ने बताया है कि सीसीआई के ध्यान में ऐसा कोई आदेश/निर्णय नहीं है जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संदर्भ में आयोग को कोई विशेष निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए हों।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****